भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 186

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

सीएपीएफ कर्मियों हेतु अवकाश

186. श्री जुगल किशोर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारियों/कर्मियों द्वारा कितनी छुट्टियां ली जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को सैन्य बलों के अनुरूप केन्द्रीय सैन्य पुलिस बलों के अधिकारियों/कर्मियों को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सीपीएएफ अधिकारियों/कर्मियों, के समरूप अवकाश प्रदान नहीं किये जाने के क्या कारण है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) : वर्तमान में, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा ली जाने वाली छुट्टियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

बल	स्थापना	एक कैलेन्डर वर्ष में	
		अर्जित अवकाश	आकस्मिक
असम राइफल्स	मुख्यालय डीजीएआर	30 दिन	08 दिन
	संगठन मुख्यालय	30 दिन	15 दिन
	यूनिट/लघु यूनिट	60 दिन	15 दिन
सीमा सुरक्षा बल	स्थायी मुख्यालय अर्थात् सेक्टर मुख्यालय, फ्रंटियर मुख्यालय एवं बल मुख्यालय	30 दिन	08 दिन
	क्षेत्रीय संगठन अर्थात् बटालियन, यूनिट, प्रशिक्षण संस्थान	60 दिन	15 दिन
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	स्थायी मुख्यालय अर्थात् बल मुख्यालय, सेक्टर मुख्यालय जोनल मुख्यालय, जहां सप्ताह में 5 कार्य दिवस हैं।	30 दिन	08 दिन
	क्षेत्रीय संगठन, जहां सप्ताह में 6 कार्य दिवस हैं	30 दिन	15 दिन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	स्थायी संगठन	30 दिन	08 दिन
	क्षेत्रीय संगठन	60 दिन	15 दिन
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	स्थायी संगठन	30 दिन	08 दिन
	क्षेत्रीय संगठन	60 दिन	15 दिन
सशस्त्र सीमा बल	स्थायी संगठन	30 दिन	08 दिन
	क्षेत्रीय संगठन	60 दिन	15 दिन

विशेष टिप्पणी (एनबी) : एनएसजी 100 % प्रतिनियुक्ति आधारित बल है और सम्पूर्ण कार्मिकशक्ति, सीएपीएफ, राज्य पुलिस और अन्य संगठनों से ली जाती है। एनएसजी में तैनात अधिकारी/कार्मिक अपने मूल संगठनों में यथा अनुमेय छुट्टी के लिए पात्र हैं।

(ख) से (घ) : सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स को एक कैलेन्डर वर्ष में सेना के बराबर बटालियन/क्षेत्र में तैनात सीएपीएफ के अधिकारियों के लिए 20 दिन का आकस्मिक अवकाश और अन्य रैंकों के लिए 30 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ । यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय के दिनांक 17.10.2014 के का.ज्ञा. के तहत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग को भेजा गया है।

*****